Fourteenth Loksabha

Session : 9
Date : 18-12-2006

Participants : Patel Shri Dinsha

an>

Title: The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Natural Gas laid a statement regarding the status of implementation of the recommendations contained in the 9th Report of the Standing Committee on Petroleum and Natural Gas on Demands for Grants (2006-07), pertaining to the Ministry of Petroleum and Natural Gas.

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) :महोदय, मैं यह वक्तव्य लोक सभा बुलेटिन (पार्ट 2) दिनांक एक सितम्बर, 2004 के तहत लोक सभा अध्यक्ष के निदेश 73 (क) के अनुसार पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से सम्बन्धित अनुदानों की मांगों (2006-2007) के बारे में पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस सम्बन्धी स्थायी समिति के 9वें प्रतिवेदन में अन्तर्विट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य दे रहा हू।

MR. SPEAKER: You can lay it on the Table of the House.

श्री दिनशा पटेल :पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस वियक स्थायी समिति (14वीं लोक सभा) की नौवीं रिपोर्ट लोक सभा में दिनांक 15.5.2006 को प्रस्तुत की गई थी। यह रिपोर्ट पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की वर्ा 2006-2007 की अनुदान मांगों की जांच से सम्बन्धित है।

समिति की रिपोर्ट में निहित सिफारिशों/टिप्पणियों पर की गई कार्रवाई का विवरण पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस से सम्बद्ध स्थायी समिति को दिनांक 18.8.2006 को भेज दिया गया था।

समिति द्वारा उक्त रिपोर्ट में 15 सिफारिशें की गई हैं, जिन पर सरकार से की गई कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी गई है। ये सिफारिशें मुख्यतः सार्वजनिक क्षेत्र के तेल उपक्रमों को आबंटित की गई राशि का अपने योजना व्यय के लिए पूरी तरह उपयोग करने, भूकम्पीय सर्वेक्षण और वेधन क्रिया-कलापों के सम्बन्ध में लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा किए गए प्रयास, गैस अथारिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (गेल) द्वारा गैस आपूर्ति करार करना और अधिक समय और लागत लगे बिना परियोजनाओं को पूरा करना सुनिश्चित करने के लिए किए गए उपाय, पांच वर्ा की अवधि में सम्पूर्ण दिल्ली शहर में पी.एन.जी. की आपूर्ति करने के लिए वृहद योजना तैयार करना, इण्डो-बर्मा पैट्रोलियम (आई.बी.पी.) का इंडियन ऑयल कारपोरेशन (आई.ओ.सी.) में विलय करने के लिए किए गए उपाय, अधिक अम्लीय/भारी कच्चे तेल को संसाधित करने के लिए रिफाइनरियों द्वारा किए गए प्र ायास, पैट्रोलियम उप्तादों में मिलावट की विभीाका की जांच करने में विशिट भूमिका निभाने वाले कर्मचारियों को पुरस्कृत करने के लिए तेल

---

* Laid on the Table and also placed in Library. See No. LT 5629/2006

कम्पनियों द्वारा प्रारम्भ की गई प्रोत्साहन योजनाएं, पूर्वी तट पर कृणापटनम में एल.एन.जी. टर्मिनल स्थापित करने की सम्भावना की जांच करने आदि के सम्बन्ध में है।

समिति द्वारा की गई विभिन्न सिफारिशों को लागू करने की वर्तमान स्थिति मेरे वक्तव्य, जो सदन के पटल पर रख दिया गया है, के साथ संलग्न अनुलग्नक में दी गई है। इस अनुलग्नक में दी गई समस्या विाय-वस्तु को पढ़कर सुनाने के लिए मैं सदन की कीमती समय नहीं लेना चाहूंगा। मेरा अनुरोध है कि इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

MR. SPEAKER: Item No. 33, Calling Attention by Shri Prabhunath Singh.

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली):इससे पहले कि आप कालिंग अटेंशन लें, यह जो भारत अमेरिका परमाणु समझौता है, इसके बारे में हमने नियम 184 के अन्तर्गत आपको नोटिस दिया था, अगर हाउस की सेंस न ली गई और हाउस क्या चाहता है, इसके बारे में प्रकट न किया गया तो प्रधानमंत्री जी वहां पर समझौता करते समय अमेरिकी दबाव के आगे झुक सकते हैं, इसलिए हम आपसे रिक्वैस्ट करते हैं कि इसको नियम 193 में लेने के बजाय नियम 184 में लिया जाये, ताकि हाउस की सेंस सामने आ जाये। यहां पर सभी दलों की राय प्रायः इसके विपरीत है। ...(व्यवधान)

MR. SPEAKER: That has been admitted under Rule 193. You cannot question tha*t* decision.

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI): Sir, hon. Prime Minister himself will intervene today at four o'clock.

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : नियम 184 में लेने में आपको क्या आपत्ति है?

अध्यक्ष महोदय: आप मेहरबानी करके बैठ जाइये।

PROF. VIJAY KUMAR MALHOTRA : Sir, we insist that it should be admitted under Rule 184.

SHRI BRAJA KISHORE TRIPATHY (PURI): Sir, on this issue I would like to say something.

MR. SPEAKER: No, sorry. You cannot question the decision of the Speaker.

SHRI BRAJA KISHORE TRIPATHY : I am not questioning your decision. With respect I want to submit something in this regard. Please allow me one minute.

MR. SPEAKER: On what basis should I allow you? Under what rule?

SHRI BRAJA KISHORE TRIPATHY : Please listen to me, Sir. I will take just half a minute.

MR. SPEAKER: Very well, I watch you for half a minute.

You know that the Session is going to adjourn tomorrow and there are many important issues pending before us. Please cooperate. Everyday I am sitting with all of you. I have discussed this.

SHRI BRAJA KISHORE TRIPATHY: I would respectfully draw your attention to the provisions of Rule 187.

MR. SPEAKER: There is no business before the House. You cannot raise a point of order now.

SHRI BRAJA KISHORE TRIPATHY : I am not challenging your decision. You have rightly taken that decision and we cannot challenge it. I would respectfully like to submit something. I request you to please listen to me.

Rule 187 says, "The Speaker shall decide whether a motion or part thereof is or is not admissible under these rules and disallow any motion or part thereof when…" this is the most significant part, "…in his opinion it is an abuse of right of moving a motion or it is calculated to obstruct or prejudicially affects the procedure of the House or is in contravention of these rules."

MR. SPEAKER: Thanks for your advice. I will remember your advice for the future.

SHRI BRAJA KISHORE TRIPATHY : So, this is not contravening any of these provisions. I again respectfully submit that it may be admitted under Rule 184.

MR. SPEAKER: I have applied my mind and taken this decision.

SHRI BRAJA KISHORE TRIPATHY : You may please have a relook at it.[r11]

MR. SPEAKER: Nothing will be recorded. Why are you disturbing the proceedings. Go to your seat and keep quiet, Shri Athawale.

*(Interruptions) ...**

अध्यक्ष महोदय : आप मेहरबानी करके बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

---

* Not recorded